जिलाधिकारी कार्यालय, दरभंगा
20 OCT 2014
पृष्ठांकण सं. 11628

परिशिष्ट-I

परिशिष्ट I

संचिका संख्या- वि0(27)पे0को0-53/04 - 1964

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पटना, दिनांक- 31.8.2005

संकल्प

विषयः- दिनांक 01.09.2005 ,एवं उसके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए नयी अंशदायी पेंशन योजना ।

राज्य सरकार द्वारा समय समय पर, लिये गये निर्णयों के आलोक में सम्प्रति राज्यकर्मियों को केन्द्र सरकार के कर्मियों के अनुरूप वेतनमान, भत्ता, सेवानिवृत्ति की आयु आदि की सुविधायें अनुमान्य है ।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय प्रभाग, नई दिल्ली के पत्रांक-05/07/2003 ई0सी0बी0 दिनांक-22.12.2003 द्वारा भारत सरकार के अधीन दिनांक-01.01.2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए वर्तमान में प्रचलित पेंशन योजना के स्थान पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है । तदनुरूप भारत सरकार के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के लिए प्रख्यापित अंशदायी पेंशन योजना के सदृश्य राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत दिनांक-01.09.2005 के प्रभाव से अंशदायी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसका नाम "बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना-2005" होगा ।

3. इस संकल्प में निहित प्रावधान वैसे सरकारी सेवकों के मामले में लागू होंगे जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन दिनांक-01.09.2005 को या उसके बाद हुई हो, परन्तु उक्त प्रावधान संविदा, लोक उपक्रमों एवं स्वायत्त संस्थानों से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मियों, दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मियों तथा पुनर्नियुक्त कर्मियों पर लागू नहीं होंगे ।

4. दिनांक-01.09.2005 या उसके बाद राज्य सरकार के अधीन नियुक्त कर्मियों के मासिक वेतन विपत्र से मूल वेतन+अनुमान्य जीवन यापन भत्ता के योग की 10 (दस) प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में कटौती की जायेगी तथा उतनी ही राशि नियोक्ता अर्थात राज्य सरकार द्वारा अंशदान के रूप में दी जायेगी ।

5. योजनान्तर्गत संबंधित कर्मियों के अंशदान की कटौती उनके योगदान के अगले माह से प्रारम्भ होगी, अर्थात् यदि सितम्बर, 2005 में किसी ने योगदान किया हो तो अंशदान की कटौती अक्टूबर, 2005 के विपत्र से प्रारम्भ होगी ।

6. योजना प्रवृत्त होने की तिथि 01.09.2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के मामलों में वर्तमान में लागू सामान्य भविष्य निधि तथा बिहार पेंशन नियमावली 1950 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, अर्थात सामान्य भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की कटौती नहीं की जायेगी ।

7. योजनान्तर्गत अंशदान की कटौती तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये अंशदान संबंधी लेखा का संधारण तत्काल भविष्यनिधि निदेशालय/कार्यालय द्वारा किया जायेगा तथा भविष्य निधि निदेशालय/कार्यालय द्वारा नई अंशदायी पेंशन योजना के अधीन अंशदान की कटौती के लिए एक लेखा संख्या आवंटित की जायेगी ।

8. नई पेंशन योजनान्तर्गत संबंधित कर्मी की सेवानिवृत्ति के समय सेवाकाल में संचित निधि की 40(चालीस) प्रतिशत राशि अनिवार्य रूप से वार्षिकी खरीदने (आई0 आर0 डी0 ए0 नियंत्रित जीवन बीमा कम्पनी से) के लिए कटौती कर ली जायेगी जिससे सरकारी कर्मचारी तथा उस पर आश्रित उसके माता-पिता तथा पति-पत्नी के जीवन काल हेतु पेंशन की व्यवस्था की जायेगी तथा शेष 60(साठ) प्रतिशत राशि एक

\\Server2000\pension_sec\sankalp05

श्री जय हिन्द ... इसी संचिका में रखें तदनुसार आवश्यक कार्यार्थ

2752
3/11/14

सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को भुगतान कर दी जायेगी ।

9. इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अलग से विस्तृत आदेश निर्गत किये जा रहे हैं ।

10. जब तक पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण गठित नहीं हो जाता है, तबतक कटौती तथा अंशदान की राशि लोक लेखा में रखी जायेगी तथा इस पर सामान्य भविष्य निधि की दर से ब्याज देय होगा ।

11. राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत बोर्ड, निगम, शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय आदि जहाँ राज्य सरकार के कर्मियों की भांति पेंशन की सुविधा उपलब्ध है को इस नई अंशदायी पेंशन योजना को अनिवार्य रूप से लागू किये जाने हेतु निदेशित किया जाता है ।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाये

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

पी० एन० नारायणन, 31/8/5

वित्त आयुक्त ।

ज्ञापांक- वि०(27) के०को०-53/04-1964 पटना, दिनांक- 31.8.2005

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

पी० एन० नारायणन, 31/8/5

वित्त आयुक्त ।

ज्ञापांक- वि०(27) के०को० 53/04-1964 पटना, दिनांक- 31.8.2005

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक/निबंधक उच्च न्यायालय पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद/सभी समाहर्ता/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी समादेष्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31/8/05

भगत चौधरी,

उप सचिव ।

ज्ञापांक- वि०(27) के०को०-53/04-1964 पटना, दिनांक- 31.8.2005

प्रतिलिपि- संयुक्त आयुक्त लेखा प्रशासन, पंत भवन, पटना/सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31/8/05

भगत चौधरी,

उप सचिव ।

ज्ञापांक- वि०(27) के०को० 53/04-1964 पटना, दिनांक- 31.8.2005

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि उक्त संकल्प की 1000 प्रति मुद्रित कर वित्त विभाग (पेंशन कोषांग) को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए ।

31/8/05

भगत चौधरी,

उप सचिव ।

\\Server2000\e\pension_scc\sankalp05

समाहरणालय, दरभंगा
(जिला स्थापना शाखा)

ज्ञापांक :- 1618 / स्था० एवं दिनांक :- 14/11/2014

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी अंचल अधिकारी दरभंगा जिला ।

प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी / सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- मुख्यालय स्थित सभी विभागी एवं प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- जिला आई० टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई० मेल के माध्यम से भेजने तथा जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

13 xi 14

स्थापना उप समाहर्त्ता
दरभंगा

10.11.14

12/11/14